अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2020 (RCMS 2020/00006) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ. नं. 46एफ/986471) बनाम तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

10.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, प्रार्थी को हजार्ना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2019 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. जांच रिपोर्ट पत्रांक 139 दिनांक 01.07.19 ओमनाथ भाटिया कर्मकार तहसील कार्यालय, श्रीगंगानगर मे पद स्थापित की जाचं रिपोर्ट से सम्बन्धित सूचना। जाचं रिपोर्ट मे यह तथ्य अकिंत कि ओमनाथ भाटिया भोजन अवकाश के दौरान उस वक्त कार्यरत तहसीलदार के मौखक तौर पर अनुमति लेकर अपने परिचित श्री सुभाष गोयल एवं उनकी वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज के ग्वाह रूप में गवाही दर्ज करवाने हेतु तहसील परिसर कार्यालय की उपरी मंजिल पर स्थित उपपंजीयक कार्यालय में गया था। उस समय कार्यरत तहसीलदार का नाम व पद की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. तहसीलदार द्वारा मौखिक तौर पर अनुमति देने सम्बन्धी स्वीकृती का प्रमाण स्वरूप तहसीलदार का शपथ पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. जिस अवधि की स्वीकृति मौखिक रूप से भोजन अवकाश के दौरान जाने की दी गयी की उसकी अवधि की सूचना – व प्रमाणित प्रति।
4. श्री ओमनाथ भाटिया के दिनांक 22.06.2000 को हाजरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज होने के उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार धारा जिस विभागीय नियम के अन्तर्गत उप पंजीयक कार्यालय में वसीयत मे गवाह के रूप में उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु मौखिक अनुमति दी उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. जाचं में अकितं कि सुभाष गोयल व उनकी माता जी के वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज

   सुभाष गोयल के माता जी के नाम की सूचना जिसके बारे में वसीयत दस्तावेज मे गवाह के रूप मे श्री ओमनाथ भाटिया उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित हुये व प्रमाणित प्रति माता जी के नाम की।
6. तहसील कार्यालय से उपरी मजिंल पर जाने में लगने वाले समय की सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. भोजन अवकाश के दौरान ही वापिस आ गया था। इस बाबत दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रति व तत्कालीन तहसीलदार के हस्तलिखित स्वीकृती की थी ओमनाथ भाटिया भोजन अवकाश के दौरान ही वापिस आ गया था। इस बाबत हस्तलिखित स्वीकृती की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8. दिनांक 22.06.2000 को जिस उप पंजीयक के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित हुए थे उसके नाम की सूचना व उसके द्वारा स्वीकृति का पत्र की जिस समय श्री ओमनाथ भाटिया उप पंजीयक कार्यालय में गवाह के रूप मे उपस्थित हुए थे।
9. वसीयत प्रार्थी की माता ने स्वंय अपनी मर्जी से निरस्त की है प्रार्थी की माता का नाम की सूचना व स्वंय की मर्जी से निरस्त की है। इस बावत दस्तावेजी सूचना स्वंय निरस्त कर्ता के हस्तलिखित सूचना।
10. जांच अधिकारी तहसीलदार द्वारा यह कथन है कि ओमनाथ भाटिया ने कोई पद का दुरूपयोग नही किया है पद का दुरूपयोग की परिभाषा अकिंत नही की है व कोई दस्तावेज की श्री ओमनाथ भाटिया के कथनों की सत्यता के सम्बन्ध में पेश नही किया है इस बाबत सूचना।
11. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में बिन्दु बार तथ्यों की जाचं नही की गयी है इस बाबत सूचना।
12. जाचं अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) से बिन्दूवार सूचनाये दिये जाने जाचं करवाये जाने बाबत सूचनाए।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक स्था./2019/251 दिनांक 05.12.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उसे निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

1. बिन्दु संख्या 01 इस कार्यालय के सूचना पट अनुसार दिनांक 24.04.1999 से 06.06.2001 तक श्री अशोक शर्मा तहसीलदार पद स्थापित थे।
2. बिन्दु संख्या–02 मौखिक आदेश की कोई प्रति नही होती है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. बिन्दु संख्या–03 मौखिक स्वीकृति के अनुसार भोजन अवकाश में गया एवं भोजन अवकाश में ही वापिस आ गया। मौखिक स्वीकृती ने अनुसार भोजन अवकाश में गया एवं भोजन अवकाश में ही वापिस आ गया। मौखिक आदेश की कोई प्रति नही होती है।
4. बिन्दु संख्या–04 दिनांक 22.06.2000 को उपस्थिति दर्ज के दौरान भोजन अवकाश में श्रीमान तहसीलदार से मौखिक अनुमति लेकर उप पंजियक कार्यालय में गये थे। भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया मौखिक आदेश की कोई प्रति नही होती है।
5. बिन्दु संख्या–05 इस कार्यालय से संबन्धित नही है।
6. बिन्दु संख्या–06 कार्मिक भोजन अवकाश के दौरान गया था और भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया।
7. बिन्दु संख्या–07 कार्मिक भोजन अवकाश के दौरान गया था और भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया। मौखिक अनुमति की कोई हस्तलिखित प्रति नही होती है।
8. बिन्दु संख्या–08 इस कार्यालय से संबधित नही है।
9. बिन्दु संख्या–09 वसीयत संबन्धी दस्तावेज की सूचना इस कार्यालय से सबंधित नही है।
10. बिन्दु संख्या–10 श्री ओमनाथ भाटिया ने कोई पद का दुरूपयोग नही किया क्योकि कार्मिक ने तत्कालीन तहसीलदार महोदय से मौखिक अनुमति ले कर भोजन के दौरान गया और भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया।
11. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं की जांच कर प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना दे दी गई है।
12. जांच अधिकारी द्वारा जांच कर सूचना दे दी गई है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो **अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जो दिनांक 05.12.2019 से उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर